अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

A6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 67/15

1. पूर्णराम
2. रामचन्द्र
3. नानूराम पिसरान जैसाराम जाति नायक निवासी भागसर तह0 सादुलशहर।
4. राम लाल
5. कालूराम पिसरान मूलाराम जाति नायक निवासी भागसर तह0 सादुलशहर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुलशहर।
2. डदाराम पुत्र जैसाराम
3. फूलाराम पुत्र ईसर राम
4. सुगनी पुत्री जैसाराम अकवाम नायक सकनाए भागसर तह0 सादुलशहर।
5. गुड्डी पुत्री जैसाराम पत्नी काशीराम नायक सा. उदाराम चौक, पु0आ0गंगानगर।
6. शंकर लाल पुत्र मूलाराम नायक निवासी भागसर तहसील सादुलशहर
7. भागदेवी पुत्र मूलाराम नायक निवासी भागसर तह0 सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 67 दिनांक 17–10–77

उपस्थित : 1.ओ0 पी0 बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.रेस्पो0 सं0 2 व 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही
3.रेस्पो0 सं0 3–5–6 व 7 स्वंय उपस्थित हुए थे।
4.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

आदेश **दिनांक : 31–12–15**

अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील अ0 धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपींलाट के पिता जैसाराम को मौजा भागसर में 35 बीघा रकबा बतौर नॉन कलेमेन्ट के आलॉट किया गया था। वरवक्त आवंटन जैसाराम खुद, लक्ष्मीदेवी पत्नी, मुलाराम, सुगनाराम, रामचन्द्र पुत्र कुल पॉच जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था। जैसाराम का पुत्र उदाराम को भारत सरकार द्वारा अलग से भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया। खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। पहले यह रकबा गॉव

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

भागसर में था बाद में चकबन्दी होने पर चक 7 बी जी एस तहसील सादुलशहर के मु0 नं0 24 में कि0 नं0 16 से 25 व मु0 नं0 39 में कि0 नं0 1 ता 25 कुल 8–627 है0 में परिवर्तित किया गया। अपीलांटस के माता पिता का देहान्त हो चुका है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी लड़के व लड़कियों को बराबर का हिस्सा बनता है। चूँकि रकबा भारत सरकार द्वारा अलॉटमैन्ट किया गया है इसलिए पी.सी.एण्ड आर एक्ट के प्रावधान लागू होने से कोई भी अलॉटी के मरने के बाद उसके विधिक उतराधिकारियों को डी0पी0 एक्ट के रूल 76 के तहत घोषित करवाये बिना रकबा दर्ज नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार के वारिसनामा के आदेश के ही इन्तकाल जैर अपील का रेस्पो0 सं0 2 के हक में 1/2 हिस्सा का तर्क किया गया है जबकि वह अलॉटमैन्ट में शामिल नहीं था और उसे अलग से जमीन अलॉट हो गई थी। उसे केवल माता पिता के हिस्से में 2/6 हिस्सा से ही हक था। भारत सरकार द्वारा 6 जीवों के आधार पर ही 37–10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को गैरखातेदारी का वारिस घोषित करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है। माता पिता के 2/6 हिस्सा में से 1/9 हिस्सा ही बनता है। गैरखातेदारी भूमि का इंतकाल दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है और ना ही अपीलाटंस को सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलांटस के पिता को जीवों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अपीलाधीन भूमि का आवंटन किया गया था। माता पिता का देहान्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 माता पिता के 2/6 हिस्सा की भूमि में से 1/9 हिस्सा तक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था क्योंकि रेस्पो0 सं0 2 को अलग से भी भूमि का आवंटन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है तथा बिना सुनवाई एवं कानूनी प्रावधानों की पालना किए अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 67 दिनांक 17–10–77 को जैसाराम की मृत्यू के बाद उसके विधिक उतराधिकारियें के नाम विरास्तन स्वीकृत किया गया है। अपींलाट के पिता जैसाराम को मौजा भागसर में 35 बीघा रकबा बतौर नॉन कलेमेन्ट जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था जिसमें जैसाराम खुद, लक्ष्मीदेवी पत्नी, मुलाराम, सुगनाराम, रामचन्द्र पुत्र कुल पॉच जीवों के आधार पर रकबा अलॉट किया गया था। जैसाराम का पुत्र उदाराम को भारत सरकार द्वारा अलग से भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट के पिता का देहान्त हो गया। खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। पहले यह रकबा गॉव भागसर में था

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

बाद में चकबन्दी होने पर चक 7 बी जी एस तहसील सादुलशहर के मु0 नं0 24 में कि0 नं0 16 से 25 व मु0 नं0 39 में कि0 नं0 1 ता 25 कुल 8–627 है0 में परिवर्तित किया गया । रेस्पोडेन्ट सं0 2 अपने माता पिता के 2/6 हिस्सा की भूमि में से 1/9 हिस्सा तक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी था क्योंकि रेस्पो0 सं0 2 को अलग से भी भूमि का आवंटन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है तथा बिना सुनवाई एवं कानूनी प्रावधानों की पालना किए अपीलाधीन इंतकाल पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से पुनः जॉच एवं निस्तारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलाटंस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 67 दिनांक 17–10–77 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्णय में वर्णित तथ्यों की जॉच कर, उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–1–16 को उपस्थित हों।

आदेश आज दिनांक 31–12–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/1/2016

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

नोट: निर्णय पर हस्ताक्षर के नीचे अंकित तारीख 1-1-2016 के स्थान पर दिनांक 31-12-15 पढा जावे। उक्तानुसार संशोधन किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)